उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 32 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परिणाम

संख्या : पीआरपीबी-चार-12(18)/2020(भाग-6) **दिनांक: मार्च 22 , 2022**

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में दिये गये प्रावधानानुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2019 (दिनांक 01-07-2019 से 30-06-2020) तक की कुल 32 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में पात्र 2204 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 31-10-2021 को सम्पन्न हुई थी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने वाले 479 अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" दिनांक 13-01-2022 से 27-11-2022 तक **राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), नूरनगर भदरसा, तहसील सरोजनीनगर, परगना-बिजनौर, उ0प्र0 लखनऊ -2260002** में सम्पन्न हो चुकी है।

2- संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में कुल 467 अभ्यर्थी अर्ह हुए है। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर दिये गये लिंक पर अनुक्रमांक व जन्म तिथि डालकर अगले चरण "सेवाभिलेखों का मूल्यांकन" हेतु अर्ह होने की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

3- "सेवाभिलेखों का मूल्यांकन" हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेवाभिलेखों का मूल्यांकन संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में तैयार किये गये मापदण्डों/लॉजिक के आधार पर किया जायेगा, जो निम्नवत है:-

सेवाभिलेखों का मूल्यांकन			
	संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार विभागीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन के अन्तर्गत विभिन्न मदों (सेवा अविधिक/वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि/पुरस्कार एवं उत्तम प्रविष्टि/पदक) में कुल **30 अंक** प्रदान किया जाना प्रावधानित है। इन मदों के अन्तर्गत निम्नानुसार अंको का निर्धारण किया जाये:–		
1	सेवा अवधि	अधिकतम 10 अंक आरक्षी चालक के रूप में पूर्ण की गयी प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक प्रदान किया जायेगा। (सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को आरक्षी चालक के रूप में की गयी सेवा से की जायेगी। 01 वर्ष से कम सेवा के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे।)	
2	वार्षिक मंतव्य	विगत 05 वर्ष के वार्षिक मंतव्य पर कुल अधिकतम 10 अंक देय होगें जो निम्नानुसार दिये जायेंगे:–	
		1–प्रत्येक आउटस्टैडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए	2.0 अंक
		2–प्रत्येक वैरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेंट के लिए	1.5 अंक
		3–प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए	1.0 अंक
		4–प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा/औसत के लिए	0.5 अंक
		5–प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए	0.0 अंक

		टिप्पणी (1) जहॉ वार्षिक मंतव्य में उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो अथवा ग्रेडिंग न हो वहॉ चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रविष्टि का अध्ययन किया जायेगा एवं उनका मूल्यांकन कर तद्नुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। **टिप्पणी (2)** यदि किसी वर्ष का वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं है तो चयन समिति द्वारा पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती वार्षिक प्रविष्टियों के आधार पर उस वर्ष की ग्रेडिग निर्धारित करते हुए तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। **टिप्पणी (3)** यदि किसी वर्ष में वार्षिक मन्तव्य 01 वर्ष की अवधि में टुकड़ों में लिखा हो अथवा वर्ष की किसी अवधि का मन्तव्य अंकित न हो/ब्लैंक हो तो उस अवधि के अंक वार्षिक मन्तव्य के लिए निर्धारित अंकों के समानुपात में प्रदान किये जायेंगे । ब्लैंक अवधि के अंक शेष अवधि के अंकों के औसत के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी का वार्षिक मन्तव्य 01 जनवरी से 31 मार्च तक "अति उत्तम", 01 अप्रैल से 30 जून तक "ब्लैंक/अलिखित" एवं 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक "संतोषजनक" है तो उस वर्ष के अंकों की गणना निम्नवत की जायेगीः– **सम्बन्धित वर्ष के अंक= ((1.5/12)*3)+((1.5/12)*3)+((0.5/12)*6)/12 x 3 + ((0.5/12)*6)** **टिप्पणी (4)** अवधि का आगणन माह के पूर्णांक में महीने के 15 वें दिन तक को राउण्ड ऑफ करते हुए पूर्ववर्ती 01 माह तक आगणित किया जायेगा तथा महीने के 16वें दिन से माह के अन्तिम दिवस तक की अवधि की गणना 01 माह मानकर निम्न रीति से आगणित की जायेगी। (1) महीने का पहला दिन महीने के 15वें दिन = पिछले महीने (2) महीने का 16वें दिन से 31वें दिन तक= अगले महीने उदाहरण के लिए (अ) यदि किसी वर्ष का वार्षिक मन्तव्य 01 जनवरी से 15 अप्रैल तक लिखा जाता है तो 03 महीने और 15 दिन को 03 महीने में आगणित किया जायेगा (अर्थात जनवरी, फरवरी एवं मार्च माह के लिए) (ब) यदि किसी वर्ष का वर्षिक मन्तव्य 01 जनवरी से 16 अप्रैल तक लिखा जाता है तो इस अवधि को 04 माह में आगणित किया जायेगा (अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह के लिए) **(वार्षिक मन्तव्य की गणना चयन वर्ष के विगत 05 वर्षों तक की अवधि की जायेगी तथा इनकी गणना Calender Year (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) में की जायेगी।)**
3	**पुरस्कार और सुप्रविष्टि**	अधिकतम 05 अंक प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर 0.5 अंक **(पुरस्कार और उत्तम प्रविष्टियों की गणना चयन वर्ष के विगत 10 वर्षों तक की अवधि की जायेगी तथा इनकी गणना जिस वर्ष (Calender Year) में पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि स्वीकृत की गयी है, उस वर्ष (Calender Year) में की जायेगी अर्थात चयन वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01–01–2009 से 31–13–2018 तक प्रदत्त पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि को संज्ञान में लिया जायेगा।)**
4	**पदक/ सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह**	अधिकतम 05 अंक 1–महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए **05 अंक** 2–महामहिम राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए **03 अंक** 3–पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान चिन्ह/पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह के लिए **02 अंक** (प्राप्त पदक/सम्मान चिन्ह की गणना में चयन वर्ष के विगत 10 वर्षों की अवधि में प्राप्त पदकों को ही सम्मिलित किया जायेगा तथा इनकी गणना जिस वर्ष (Calender Year) में पदक/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह स्वीकृत किया गया है, उस वर्ष (Calender Year) में की जायेगी।)

	सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में दण्डों का ऋणात्मक अंक के मापदण्ड (ऋणात्मक अंक की कटौती की अधिकतम सीमा–**10 अंक** होगी जिसका आगणन चयन वर्ष के विगत 10 वर्षो की अवधि के लिए किया जायेगा तथा इनकी गणना जिस वर्ष (Calender Year) में दण्ड स्वीकृत किया गया है उसी वर्ष (Calender Year) में की जायेगी।)		
1	**दीर्घ दण्ड**	अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 यथा संशोधित के नियम–14(1) के अनुसार	प्रत्येक दीर्घ दण्ड के लिये **03 अंक**
2	**लघु दण्ड**	अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 यथा संशोधित के नियम–14 (2) के अनुसार	प्रत्येक लघु दण्ड के लिये **02 अंक**
3	**छुद्र दण्ड,**	अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 यथा संशोधित के नियम–15 के अनुसार	प्रत्येक छुद्र दण्ड के लिये **0.5 अंक**
	चयन सूची तैयार किया जाना		
	उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्थानुसार विभागीय परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंको के आधार पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र व्यक्तियों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी यदि दो या दो से अधिक समान अंक होगें तो उनकी योग्यता प्रथमतः आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्म तिथि भी समान होती है तो हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के कम के अनुसार उनका योग्यताकम निर्धारित किया जायेगा।		

4- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनींकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

22.03.2022

अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।